(110)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 160/2021

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 (पूर्व नाम एयू फाईनंसर्स (इण्डिया)लि0) रजि. कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छितरमल उम्र 38 साल

–– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री श्याम एजेंसी जरिये प्रो0 हेम सिंह चौहान पता – वार्ड सं0 14, नीयर नगरपालिका, सूरजगढ सिटी, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं 333029
2. सुरेन्द्र सिह चौहान पुत्र सुगन सिंह, उम्र 57 साल, नि0 वार्ड सं0 14, नियर गणेश मंदिर, सूरजगढ सिटी (ग्रामीण), तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
   Also at – सुरेन्द्र सिह चौहान
   प्रोपटी – आवासीय प्लाट नं0 17, वार्ड सं 14, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
3. हेम सिंह चौहान पुत्र सुगन सिंह उम्र 42 साल, नि0 वार्ड सं0 14, नियर गणेश मंदिर, सूरजगढ सिटी (ग्रामीण), तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

––

उपस्थितः–
1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0) – प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 24.02.2022

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष में उनके आवेदन पर केडिट सुविधा/वितीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे 12,50,000/रू0 अक्षरे बारह लाख पचास हजार रूपये की ऋण सुविधा खाता स0 **L9001060718195636** दि 31.07.2019 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति से रक्षित है– अचल संपत्ति– आवासीय प्लाट नं0 17, वार्ड सं0 14, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, 274 वर्गगज अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह चौहान के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार से है–

पूरब में	रास्ता	पश्चिम में	मकान उम्मेद कुमावत
उतर में	रास्ता 10 फुट चौडा	दक्षिण में	मकान बाबुलाल मणियार

अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने मकें चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैक द्वारा दिनांक 05.03.2021 को अनर्जक परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीगत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 07.05.2021 द्वारा अ0धारा 13(2) वितीय आस्तियो का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:36:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के बकाया ऋण राशि 13,67,473/रू0 अक्षरे तेरह लाख सडसठ हजार चार सौ तिहेतर रूपये मय ब्याज व खर्चा दि. 05.03.2021 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द करने का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए संपति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है–आवासीय प्लाट नं0 17, वार्ड सं0 14, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, 274 वर्गगज अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह चौहान के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चोहद्दी निम्न प्रकार से है–

पूरब में	रास्ता	पश्चिम में	मकान उम्मेद कुमावत
उतर में	रास्ता 10 फुट चौडा	दक्षिण में	मकान बाबुलाल मणियार

उक्त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गिरवीकृत संपति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाया जावे जिससे एक्ट के प्रावधानानुसार संपति से बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थीगण अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थीगण/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत

Signature Not Verified
Digitally Signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:36:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

(120)

दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थीगण सुरेन्द्र सिंह चौहान के मालिकाना हक की अचल संपत्ति आवासीय प्लाट नं0 17, वार्ड सं0 14, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, 274 वर्गगज स्थित भूमि व निर्मित सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है के प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.16 15:36:06 IST
Reason: SelfAttested